## न्यायालयः—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण गोहद (समक्षः पी०सी०आर्य)

<u>क्लेम प्रकरण क्रमांकः 12 / 2014</u> संस्थित दिनांक–03.05.2011 फाइलिंग नं–230303000132011

 रामबाबू सिंह पुत्र जयसिंह आयु 36 साल जाति गुर्जर धंधा कास्तकारी (खेती) निवासी ग्राम रते का पुरा थाना एण्डोरी परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 ......आवेदक

## वि रू द्ध

- 1— रूपा उर्फ रूपिसंह पुत्र लटूरीलाल आयु 30 साल जाति जाटव निवासी लक्ष्मन तलैया नये थाने के सामने वार्ड नंबर—5 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 .......वाहन चालक
- 2— नंदिकशोर सिंह पुत्र महेन्द्रपालसिंह गुर्जर निवासी किला रोड वार्ड नंबर—15 गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र० ......वाहन स्वामी
- 3— शाखा प्रबंधक महोदय, चौला मण्डलम एम०एस० जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड हैड ऑफिस 'देयर हाउस' सैकेण्ड फ्लोर एन०एस०सी० बोस रोड चैन्नई 600001 इण्डिया .....बीमा कंपनी

.....अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री आर0पी0 गुर्जर एड0। अनावेदक क्रमांक—1 व 2 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता एड0। अनावेदक क्रमांक—3 द्वारा श्री संतोष डंगरौलिया एड0।

# -::- <u>अधि-निर्णय</u> -::-(आज दिनांक **06 मार्च 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

 आवेदक की ओर से उक्त आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत सडक दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय और भविष्य की क्षति के आधार पर अनावेदकगण के विरूद्ध कुल 2,45,000/— रूपये क्षतिपूर्ति एवं उस पर ब्याज दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

- 2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि वाहन ऑटो रिक्शा कमांक—एम0पी0—30 एम0ए0—0903 का अनावेदक क0—2 नंदिकशोर पंजीकृत स्वामी है जिसे अनावेदक क0—1 रूपा उर्फ रूपिसंह चलाता है जो अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी के यहाँ दिनांक 09.10.10 को बीमित था।
- 3. आवेदक का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 09.10.10 फरियादी धीरेन्द्र ने थाना गोहद पर इस आशय की रिपोर्ट कि वह आहत रामबाबू जो कि उसके पिता हैं, को मोटरसाइकिल पर बैटाकर गोहद आ रहा था। रास्ते में बंधा पुल के पास जैसे ही आया तो एक अज्ञात ऑटो चालक गोहद की तरफ से गोहद चौराहा की ओर तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ आया और उसने उसकी मोटरसाइकिल डिस्कवर क्रमांक-एम0पी0-30एमए-0903 में टक्कर मार दी। जिससे उसके पिता आहत रामबाबू को साईड से टक्कर लगने से दांहिने घुटने में चोट लगी। तथा दांहिने पैर के पंजे में चोट आई एवं कमर में मूंदी चोट आई। मौके पर विशालसिंह व मुकेशसिंह रते का पुरा के थे जिन्होंने घटना देखी। उक्त रिपोर्ट पर से अप०क०-208/10 धारा-279, 337 अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध के जे०एम०एफ०सी० न्यायालय में पेश किया गया। आवेदक रामबाब् दुर्घटना में आई चोटों का प्रारंभिक उपचार सी०एच०सी० गोहद में कराया एवं बाद में डॉ0 मानवेन्द्र शर्मा जय हॉस्पीटल श्री टॉकीज के पास बाईपास रोउ आगरा उ०प्र० में इलाज कराया तथा आवेदक मेहनत, मजदूरी व खेती व पशुपालन से करीब 200 / – रूपये प्रतिदिन तथा वार्षिक आय ७२००० / –रूपये एवं अन्य स्त्रोतों से ५०,००० / –रूपये कमाता था।
- 4. आवेदक ने यह भी व्यक्त किया कि दुर्घटना में दांये पैर की चोटें आई हैं जिसके कारण वह मेहनत मजदूरी व खेती के काम में असमर्थ होकर विकलांग हो गया है। तथा पैर में एवं कमर में चोटें होने से उसकी पैर की कार्यक्षमता में विपरीत प्रभाव पड़ा है। तथा इलाज में, पौष्टिक आहार एवं दवाई में काफी खर्चा हुआ है। अतः उसे कुल 2,45,500 / रूपये की क्षति हुई जो वह अनावेदकगण से संयुक्ततः और पृथक्ततः पाने का पात्र है। इसलिये आवेदन स्वीकार किया जाकर क्षतिपूर्ति दिलाई जावे।
- 5. अनावेदक क0—1 व 2 की ओर से आवेदक के मूल आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए उल्लेख किया है कि अनावेदक के ऑटो द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई है न ही ऑटो को तेजी व लापरवाही से चलाया गया है। न ही अनावेदक क0—2 के स्वामित्व व आधिपत्य के वाहन से कोई घटना कारित की गई है। तथा अनावेदक के द्वारा जब कोई घटना कारित ही नहीं की गई है तब आवेदक अनावेदक क0—1 व 2 से किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। तथा आवेदक क्या रोजगार करता है इसका एवं दवाईयों के पर्चे पेश नहीं किये गये हैं तथा अनावेदक क0—1 के विरुद्ध झुंठी रिपोर्ट की गई है अतः आवेदका आवेदन सव्यय निरस्त

किये जाने की प्रार्थना की है।

- अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी की ओर से मूल आवेदन पत्र 6. का जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए उल्लेखित किया है कि आवेदक ने आवेदन पत्र में खेतीबाडी, पशुपालन एवं प्रतिदिन मजदूरी करना तथा मजदूरी से 200 रूपये प्रतिदिन कमाना इस प्रकार 72,000 रूपये और अन्य स्त्रोतों से 50,000 रूपये कमाने वाली बात गलत अंकित की है। तथा आवेदक ने घटना की कहानी एवं उसे चोट आने वाली बात गलत लिखाई है। तथा आवेदक को दुर्घटना के कारण दांहिने पैर के पंजे , कमर व घटने में चोटें आना अस्थिभंग होना व विकलांगता आकर कार्य क्षमता में कमी आने वाली बात गलत लिखी गई है। आवेदक ने इलाज एवं दवाईयों, ऑपरेशन, मानसिक पीडा 1,20,000 / –रूपये तथा एक साल की मजदूरी एवं अन्य स्त्रोतों से होने वाली आमदनी की क्षति 72,000 / – रूपये एवं 50,000 / – रूपये तथा अन्य व्यय २००० / – रूपये इस प्रकार कुल क्षतिपूर्ति २,45,500 / – रूपये काल्पनिक व संभावनाओं के आधार पर अंकित किये हैं।
- 7. अतिरिक्त आपत्तियों में यह भी व्यक्त किया है कि यदि आवेदक / आहत घटना दिनांक 09.10.10 को −एम0पी0−30 / आर−0241 के उपयोग से आवेदक के साथ कोई दुर्घटना होना और किसी प्रकार की चोट आना एवं विकलांगता कारित होना सिद्ध करने में सफल पाया जाता है व ऑटो क्रमांक −एम0पी0−30 / आर−0241 का अनावेदक क0−3 बीमा कंपनी में तथाकथित घटना दिनांक 09.10.10 को बीमित होना पाया जाता है उक्त दशा में बीमा कंपनी की विकल्प में, एक दूसरे का हानि न पहुंचाते हुए आपत्ति की है कि अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी के यहाँ ऑटो कुमांक-एम0पी0-30-आर-0241 को बीमा धारक अनावेदक कृ0-2 ऑटो मालिक की सहमति से बिना वैध व प्रभावशील द्वायविंग लायसेन्स के चलाया जा रहा था तो बीमा पॉलिसी की शर्तों का एवं मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। तथा ऑटो चालक के पास कोई वैध एवं प्रभावशील द्वायविंग लायसेन्स नहीं था। तथा उक्त वाहन बिना वैध एवं प्रभावशील परिमट / रूट परिमट एवं फिटनेस तथा मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत चलाया जा रहा था। अतः बीमा कंपनी प्रकरण में किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने हेत् उत्तरदायी नहीं है। तथा ऑटो का परमिट भी पेश नहीं है। तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहन मोटरसाईकिल को धीरेन्द्र बिना वैध एवं प्रभावी ज्ञायविंग लायसेन्स के तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था। तथाकथित ऑटो चालक की कोई गलती व लापरवाही नहीं है। तथा माननीय अधिकरण यह पाता है कि प्रश्नगत कन्द्रीव्यूटरी / कंपोजिट नेग्लीजेंस का परिणाम है तब उक्त दशा में क्षतिपूर्ति धनराशि अदा करने का उत्तरदायित्व आनुपातिक रूप से निराकृत किया जाना न्यायोचित है।
- 8. उक्त प्रकरण में मोटरसाईकिल दिनांक 09.10.10 का चालक, रजिस्टर्ड स्वामी व उक्त मोटरसाइकिल को बीमित करने वाली बीमा कंपनी आवश्यक पक्षकार है जिसे आवेदक द्वारा प्रकरण में पक्षकार नहीं

बनाया गया है। इस कारण प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों के अंसयोजन का दोष होने से भी आवेदक का क्लेम आवेदन प्रचलन योग्य न होकर सव्यय निरस्ती योग्य है। तथा मोटरसाइकिल का चालक, रजिस्टर्ड स्वामी व बीमा कंपनी प्रकरण में इस कारण भी आवश्यक पक्षकार है ताकि आवेदक एक ही दुर्घटना के संबंध में दो अलग-अलग बीमा कंपनी से क्षतिपूर्ति धनराशि पृथक पृथक प्राप्त करने का प्रयास न कर सकें। धारा-158 (6) मोटरयान अधिनियम 1988 का भी थाना गोहद द्वारा वाहन से दुर्घटना कारित होने की दशा में 30 दिवस के भीतर उक्त वाहन की बीमा कंपनी को सूचना मय दस्तावेजों के न देकर अवहेलना की गई है। प्रकरण के उचित एवं विधि संगत दस्तावेजों रजिस्ट्रेशन, बीमा, परमिट, फिटनेस, ड्रायविंग लायसेन्स, टैक्स की रसीदें प्रकरण में प्रस्तुत कराया जाना आवश्यक एवं विधिसंगत है ताकि बीमा कंपनी उन्हें कन्फर्म करवा सके। तथा आवेदक को किसी प्रकार की स्थाई या अस्थाई अशक्तता कारित नहीं हुई है तथा आवेदक को आई चोटें धारा—142 मा०व्ही०एक्ट के तहत अपंगता की श्रेणी में नहीं आती है। अपंगता प्रमाण पत्र प्रकरण में पेश नहीं है। तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अज्ञात ऑटो चालक लिखा है इस कारण प्रकरण प्रीमेच्योर होने से निरस्ती योग्य है। अतः आवेदक का आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

9. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्न वाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

वाद प्रश्न निष्कर्ष

1	क्या दिनांक 09.10.10 को दो बजे बंधा पुल गोहद में ऑटो कमांक—एम0पी0—30 आर—0241 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर उसे गंभीर उपहतिकारित की?
2	क्या उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के कारण आवेदक को स्थाई अशक्तता कारित हुई?
3	क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन वैध एवं प्रभावी डायविंग लायसेन्स के बिना और वैध अनुज्ञप्ति परिमट के बिना चलाये जाने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है? यदि हॉ तो प्रभाव?
4	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है, यदि हॉ तो किस अनावेदक से कितनी ?
5	सहायता एवं वाद व्यय?

## -:- निष्कर्ष के आधार -:-

10. प्रकरण में आवेदक की ओर से स्वयं आवेदक रामबाबूसिंह आ0सा0—1, धीरेन्द्र आ0सा0—2 के कथन कराये गये हैं तथा प्र0पी0—1 लगायत प्र0पी0—20 के दस्तावेज पेश किये गये हैं। अनावेदक क0—1 व 2 की ओर से रूपा उर्फ रूपसिंह अना0सा0—1 का परीक्षण कराया गया है तथा प्र0डी0—1 व प्र0डी0—1 सी के दस्तावेज पेश किये गये हैं तथा अनावेदक क0—3 बीमा कंपनी की ओर से गोविन्दिसंह अना0सा0—1 एवं अंबरीश चौधरी अना0सा0—2 का कथन कराया गया है एवं प्र0डी0—1 लगायत प्र0डी0—5 के दस्तावेज पेश किये गये हैं। तथा प्र0डी0—1 के रूप में ड्रायविंग लायसेन्स एवं परिमट का प्रमाण पत्र अंकित हो गया है इसिलये ड्रायविंग लायसेन्स को प्र0डी0—1 और प्रमाण पत्र को प्र0डी0—1 ए के रूप में पढ़ा जा रहा है।

#### -::- वादप्रश्नक मांक-1 -::-

- इस संबंध में आवेदक की ओर से स्वयं आवेदक रामबाबूसिंह आ०सा0-1 ने अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि दिनांक 09.10.10 को वह अपने पुत्र धीरेन्द्र के साथ अपनी मोटरसाइकिल से अपने गांव रते का पुरा परगना गोहद से गोहद की ओर आ रहा था। मोटरसाइकिल उसका पुत्र धीरेन्द्र चला रहा था और वह पीछे बैठा हुआ था। वह अपनी साईड से आ रहे थे जब वे बंधा पुत्र बेसली नदी गोहद की रोड पर दिन के करीब 2.00 बजे आये तब गोहद चौराहा की तरफ से एक ऑटो कुमांक-30-आर-0241 का द्धायवर ऑटो को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे उसके दांहिने घुटने, दांहिने पैर के पंजे में व कमर में मूंदी चोटें आईं। उस समय ऑटो का नंबर उसने देख लिया था तथा मौके पर धीरेन्द्र के अलावा विशालसिंह और मुकेशसिंह ने भी देखी थी। घटना की रिपोर्ट उसके लडके धीरेन्द्र ने कराई थी। उसका सीएचसी गोहद में डॉ0 आलोकशर्मा के द्वारा इलाज किया गया था और एक्सरे भी हुआ था जिसमें दांये पैर में अस्थिभंजन पाया गया था। इसी आशय का मुख्य परीक्षण का अभिसाक्ष्य आवेदक के पुत्र धीरेन्द्र आ०सा0-2 ने भी दिया है। और आवेदक ने थाना गोहद में पंजीबद्ध हुए अपराध क्रमांक—208 / 10 के अभियोग पत्र, नक्शामौका, एफआईआर, एमएलसी रिपोर्ट तथा ऑटो रिक्शा का जप्ती पत्र, उसका सुपूर्दगीनामा आदि प्र0पी0–1 लगायत प्र0पी0-7 पेश किये हैं।
- 12. आवेदक रामबाबू अ०सा०—1 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा—6 में यह बताया है कि वह अपने गांव रते का पुरा से घटना दिनांक को मोटरसाइकिल से 10—11 बजे चले थे। घटना गोहद के पुल पर हुई थी। ऑटो का नंबर उसने देख लिया था। ऑटो गोहद से गोहद चौराहा की तरफ जा रही थी और वे गोहद चौराहा से गोहद की ओर जा रहे थे। ऐसा ही अ०सा०—2 ने भी पैरा—5 में बताया है। अ०सा०—1 ने मुख्य परीक्षण की कण्डिका—2 में उल्लेखित तथ्य कि ऑटो गोहद चौराहा की तरफ से आ रहा था, लिखाने से इन्कार किया है। पैरा—8 में उसने अनावेदक के वाहन का नंबर झूंठा एफआईआर में लिखाने से इन्कार किया है। प्र0पी0—2 की एफआईआर की

प्रमाणित प्रतिलिपि मुताबिक रिपोर्ट अज्ञात ऑटो चालक के विरूद्ध दर्ज हुई है। एफआईआर मुताबिक आवेदक अपने पुत्र धीरेन्द्र के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव से गोहद आ रहा था और ऑटो गोहद की तरफ से गोहद चौराहा की ओर जाते समय की घटना बताई है। जबिक दोनों ही साक्षी मुख्य परीक्षण में एफआईआर की बात से भिन्न कथन करते हैं। हालांकि प्रतिपरीक्षण में वह ऑटो गोहद की तरफ से गोहद चौराहा की ओर जाना अवश्य बताते हैं।

- 13. चूंकि रिपोर्ट अज्ञात में है इसलिये सर्वप्रथम यह विनिश्चत होना आवश्यक है कि जिस वाहन से दुर्घटन घटित होना बताई गई है वह क्षितपूर्ति के संदर्भ में प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित हो। क्योंकि अनावेदकगण की ओर से झूंठा मामला दर्ज कराया जाना बताया गया है। और इसी आशय की साक्ष्य भी अनावेदक क0—1 रूपा उर्फ रूपसिंह अना0सा0—1 ने अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में देते हुए यह कहा है कि उसके विरुद्ध झूंठा केस पंजीबद्ध कराया गया है और घटना से उसका कोई संबंध नहीं है। तथा उससे कोई घटना कारित नहीं हुई है इसलिये उक्त तथ्य को प्रमाणित करने का भार आवेदक पर ही है। हालांकि यह सही है कि क्षितिपूर्ति के दावे के मामलों में कल्याणकारी उपबंध होने से साक्ष्य के सख्त नियम को लागू नहीं किया गया है किन्तु यह तो प्रमाणित करना आवश्यक ही है कि जिस वाहन से दुर्घटना बताई गई है उससे दुर्घटना होना सिविल दायित्व निर्धारण की दृष्टि से प्रमाणित हो।
- प्र0पी0-2 की एफ0आई0आर0 में दुर्घटनाकारी ऑटो का कोई नंबर नहीं है। केवल पेश किये गये जप्ती पत्रक प्र0पी0-6 में ऑटो कमांक-एम0पी0-30 आर-0241 की जप्ती बताई गई है जिसे अनावेदक क0-2 आनंदिकशोर द्वारा प्र0पी0-1 के सुपुर्दगीनामा मुताबिक सुपुर्दगी पर दाण्डिक न्यायालय से प्राप्त किया गया है किन्तु केवल इसी आधार पर दुर्घटना होना साबित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जप्ती पत्र को प्रमाणित करने के लिये आवेदक / आहत रामबाबू रिपोर्टकर्ता धीरेन्द्र के अलावा और किसी साक्षी का अभिसाक्ष्य आवेदक की ओर से नहीं कराया गया है इसलिये यह देखना होगा कि क्या आ०सा०-1 व 2 के अभिसाक्ष्य से अनावेदक क0–2 के स्वामित्व के ऑटो क्रमांक–एम0पी0–30 आर–0241 से द्र्घटना आवेदक की घटित हुई या नहीं? इस संबंध में दोनों ही साक्षी मुख्य परीक्षण में ऑटो को मौके पर देख लेना बताते हैं जिन्हें प्र0पी0-2 की एफआईआर में चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है किन्तु इनमें से किसी को परीक्षितं नहीं कराया गया है। आवेदक रामबाबू अ0सा0—1 व धीरेन्द्र अ०सा०–२ उसका पुत्र होकर हितबद्ध है इसलिये उनकी सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना अपेक्षित हो जाता है।
- 15. रामबाबू अ०सा०-1 के पैरा-10 मुताबिक वह पढा लिखा नहीं है केवल हस्ताक्षर कर लेता है, लिखा हुआ नंबर या अक्षर नहीं पढ पाता है, ऐसी उसने स्वीकारोक्ति की है और मुख्य परीक्षण में ऑटो का नंबर लिखाना बताता है जो उसने एम०पी०-30-241 नंबर बताया है, बीच का कोई अक्षर होने से वह इन्कार करता है। दूसरी ओर वह शपथ पत्र लिखाने के बाद पढना भी बताता है जिसमें ऑटो का क्रमांक लिखा गया था। शपथ पत्र में लिखाये गये ऑटो क्रमांक में स्याही से 20 को 30 लिखा जाना वह कहता है। और मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र की जो प्रति अनावेदकगण को दी गई उसमें

क्रमांक—20 ही लिखा होना वह स्वीकार करता है। ऑटो के क्रमांक के संबंध में उक्त साक्षी की साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को अशिक्षित बताये और कोई नंबर या अक्षर पढ़ने में भी असमर्थता व्यक्त करे उससे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वह दुर्घटना के समय वाहन का नंबर देख लेगा। जैसा कि मुख्य परीक्षण में देख लेना कहा है। इसलिये दुर्घटनाकारी वाहन ऑटो के क्रमांक के संबंध में अ0सा0—1 की साक्ष्य विश्वासयोग्य नहीं पाई जाती है।

- 16. दुर्घटना की सूचना अर्थात एफआईआर आहत के पुत्र धीरेन्द्र के द्वारा प्र0पी0—2 मुताबिक दर्ज कराई गई है और इस संबंध में धीरेन्द्र अ0सा0—2 का यह कहना पैरा—7 में रहा है कि जब दुर्घटना हुई तब ऑटो का नंबर वह नहीं देख पाया था क्योंकि पापा की स्थिति ज्यादा खराब थी और घटना के बाद वह सीधे थाने गया था। उसके पापा बेहोश थे इस कारण उसके पापा ने नहीं लिखाई थी, उसने लिखाई थी। अर्थात् दुर्घटना की रिपोर्ट आहत करने की स्थिति में उक्त साक्षी मुताबिक नहीं था। जबिक एफआईआर मुताबिक और स्वयं आवेदक के मुताबिक उसे जो चोटें दुर्घटना के फलस्वरूप आई वह केवल दांहिने पैर के घुटने, पंजे और कमर में मूंदी चोट के रूप में आई। ऐसे में अ0सा0—2 का यह कहना है कि उसके पिता रिपोर्ट करने की स्थिति में नहीं थे, स्वाभाविक और विश्वसनीय नहीं है। इससे यही आशय निकलता है कि आहत अशिक्षित होने से उसके पुत्र द्वारा रिपोर्ट की गई होगी।
- 17. अ0सा0—2 जो कि कक्षा—12 तब पढ़ा हुआ व्यक्ति है, उसे भी घटना की तारीख याद नहीं है। और वह भी पैरा—6 में यह कहता है कि वह गोहद चौराहा की तरफ से गोहद की ओर जा रहा था। जिस वाहन से घटना हुई थी वह गोहद से गोहद चौराहा की तरफ जा रहा था, मुख्य परीक्षण से भिन्न है। और वह मुख्य परीक्षण के पैरा—2 में ऑटो के गोहद चौराहा से आने वाली बात गलत लिखी होना बताता है। जबिक स्वयं शपथ पत्र लिखवाना कहता है। इस तरह से सर्वप्रथम तो इस बिन्दु पर ही दोनों साक्षी अपने अपने स्वयं के कथनों से विरोधाभाषी हैं कि वास्तव में वे किस दिशा से किस दिशा को जा रहे थे और दुर्घटना करने वाला ऑटो किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा था। जो कि प्र0पी0—2 की अज्ञात ऑटो चालक की होने से अनावेदक के संबंध में संदेह की स्थिति उत्पन्न करते हैं।
- 18. अ०सा०—2 के पैरा—7 मुताबिक वह मोटरसाइकिल क्रमांक —एम०पी०—3०एमडी—0903 से जा रहा था और मोटरसाइकिल चलाने का उसके पास कोई द्वायविंग लायसेन्स नहीं था। पैरा—11 में उसने कथन दिनांक 20.01.14 को भी द्वायविंग लायसेन्स न होना स्वीकार किया है। इससे यह स्पष्ट है कि आवेदक जिस मोटरसाईकिल से जा रहा था उसके चालक पर कोई द्वायविंग लायसेन्स नहीं था। ऐसे में विचारण योग्य यह बिन्दु भी उत्पन्न हो जाता है कि दुर्घटना किसकी उपेक्षा से हुई जिसके बारे में साक्ष्य की स्थिति मौन है।
- 19. अ०सा०—2 के मुताबिक उसने ऑटो का नंबर मौके पर नहीं देखा। जैसा कि पैरा—7 में वह कहता है। और पैरा—10 में वह यह भी कहता है कि उसने घटना के समय ऑटो का नंबर नहीं लिया था। द्वायवर को पहचान लिया था। द्वायवर की पहचान भी वह उस समय की बताता है। ऑटो चौराहे पर खडी थी तब उसका नंबर लिया था लेकिन उसका दिन, तारीख, महीना कुछ भी उसने स्पष्ट नहीं किया है। और यह भी स्वीकारोक्ति की है कि

चौराहे पर एक जैसे 10–20 ऑटो खडे रहते हैं और जब उसने टैक्सी को पहचाना था तब उसमें सवारियाँ बैठी थीं। इस साक्षी ने भी इस बात की स्वीकारोक्ति की है कि मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र में गाडी के नंबर में 30 लिखा था और उसकी जो प्रति दी गई थी उसमें नंबर-20 लिखा है। उसके पैरा—11 मुताबिक दुर्घटना के बाद उसके पिता को दूसरी मोटरसाइकिल से थाने ले जाया गया था और वह अपनी मोटरसाइकिल से गया था। लेकिन उसके पिता को कौन ले गया, वह यह स्पष्ट नहीं करता है। जबकि प्र0पी0—2 की एफ0आई0आर0 मुताबिक धीरेन्द्र ही अपने पिता को रिपोर्ट के लिये लेकर आया था। पैरा–11 में वह यह भी स्वीकार करता है कि दुर्घटना के समय उसने ऑटो का नंबर नहीं देखा था। और मुख्य परीक्षण में यदि ऑटो का नंबर देखने की बात लिखी हो तो वह गलत है। उसके पैरा–2 में ऑटो का नंबर देख लेने की बात का उल्लेख किया गया है जिसे वह पैरा-11 में खण्डित कर रहा है। ऐसे में दुर्घटनाकारी ऑटो को देखन, उसके चालक की पहचान के संबंध में आ0सा0-2 की साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है। क्योंकि यदि उक्त साक्षी के मृताबिक ऑटो चालक को उसने पहचान लिया था तो फिर एफआईआर में चालक की पहचान वह लिखाता किन्त् एफआईआर में चालक की पहचान का उल्लेख नहीं है। न ही ऐसा उल्लेख किया गया है कि ऑटो चालक को उसने पहचाना या पहचान सकता है। इससे भी वास्तव में दुर्घटना अनावेदक के ऑटो से घटित हुई ऐसा उक्त साक्षी से भी प्रमाणित नहीं होता है। और दुर्घटनाकारी ऑटो के संबंध में अ०सा०–2 भी संदेहजनक स्थिति में होने से विश्वसनीय नहीं है।

- 20. एफ0आई०आर० प्र०पी०—2 मुताबिक विशालिसंह और मुकेश मौके के साक्षी बताये गये जिन्हें यद्धिप आवेदक ने पेश नहीं किया किन्तु उनके संबंध में अ०सा0—2 के अभिसाक्ष्य में स्थिति स्पष्ट हुई है। आ०सा0—2 के पैरा—12 मुताबिक टक्कर होने के बाद उसने घटनास्थल से ही विशाल को फोन लगाया। फिर विशाल मौके पर आया तब तक ऑटो घटनास्थल से चली गई थी। अर्थात् विशाल ने मौके पर दुर्घटनाकारी वाहन को नहीं देखा। इससे आवेदक रामबाबू आ०सा0—1 और धीरेन्द्र अ०सा0—2 के मुख्य परीक्षण की किण्डका—2 में विशाल और मुकेश द्वारा घटनास्थल पर उपस्थित होने और देखने की बात भी खिण्डत हो जाती है। जिसका खण्डन अ०सा0—2 पैरा—12 में स्पष्ट रूप से भी कर रहा है। ऐसे में दुर्घटनाकारी वाहन का क्रमांक देखे जाने का कोई स्त्रोत उत्पन्न नहीं होता है जो अनावेदक के वाहन की संलिप्तता को स्पष्ट कर सके। हालांकि पैरा—13 में उक्त साक्षी ने इस बात से इन्कार अवश्य किया है कि उसके पास द्वायविंग लायसेन्स नहीं था इसलिये उसने मोटरसाइकिल चलाकर किसी दूसरे ऑटो में टक्कर मार दी और झुंठी रिपोर्ट कर दी।
- 21. प्र0पी0—6 का जप्ती पत्र जिसके मुताबिक अनावेदक क0—2 के स्वामित्व का ऑटो जप्त किया गया है, उस जप्ती पत्र को प्रमाणित करने के लिये किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया है और अ0सा0—1 व 2 जप्ती पत्र के साक्षी नहीं हैं तथा उनके कथनों में दुर्घटनाकारी वाहन के संबंध में गंभीर विषंगतियाँ उत्पन्न हैं। दुर्घटना के समय वाहनों की स्थिति के संबंध में भी विरोधाभाष है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध राजनारायण 1986 भाग—1 एम0पी0डब्ल्यु0एन0 एस0एन0—204 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि वाहन की पहचान स्थापित न हो तो बीमा कंपनी से क्षिति धन नहीं दिलाया जा सकता है। तथा बहरितन बाई विरूद्ध सुभाष 1994 भाग—1 एम0पी0डब्ल्यु0एन0 एस0एन0—26 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया है कि वाहन उसके, उसके स्वामित्व तथा चालक की पहचान स्थापित न होने पर याचिका खारिज की जानी चाहिए। हस्तगत मामले में भी वाहन और उसके चालक की पहचान के संबंध में स्थिति संदिग्ध है। इसलिये दोनों न्याय दृष्टांत प्रकरण में लागू किये जाने योग्य हैं।

22. अतः ऐसी स्थिति में अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि दिनांक 09.10.10 को आवेदक रामबाबू को जो चोटें आई वे ऑटो कमांक—एम0पी0—30 आर—0241 के चालक द्वारा पहुंचाई गई। ऑटो का तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया जाना तो ऐसी स्थिति में गौण हो जाता है। ऐसे में प्र0पी0—1 लगायत प्र0पी0—5 और प्र0पी0—8 की एक्सरे रिपोर्ट से रामबाबू को पहुंची उपहित अस्थिभंजन पाये जाने से घोर उपहित अवश्य है किन्तु अनावेदक क्रमांक—1 के द्वारा पहुंचाई जाना संदिग्ध है। इसलिये वाद प्रश्न क्रमांक—1 को आवेदक प्रमाणित करने में असफल रहा है फलतः अप्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

## -::- वादप्रश्नक मांक-2 -::-

- 23. इस संबंध में आवेदक की ओर से जो मौखिक साक्ष्य दी गई है उसमें वह सीएचसी गोहद में डॉ0 आलोक शर्मा के द्वारा किये गये इलाज व एक्सरे मुताबिक दांये पैर में अस्थिमंग के कारण स्थाई विकलांगता बताता है ऐसा ही धीरेन्द्र अ0सा0—2 भी पैरा—3 में कहता है किन्तु अ0सा0—1 ने पैरा—9 में यह बताया है कि वह किसानी का काम करता है। उसके पास दो बीघा जमीन है और गैंहूँ धान की फसल वह लेता है तथा वर्तमान में भी वह खेती कर रहा है। पैरा—11 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि खेती के अलावा और कोई काम नहीं करता है तथा उसने स्थाई विकलांगता के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। अर्थात् अ0सा0—1 अस्थिमंजन के आधार पर ही स्थाई असक्तता बता रहा है। जबिक स्थाई असक्तता के संबंध में चिकित्सीय प्रमाण होना आवश्यक है। उससे ही यह प्रमाणित हो सकता है कि आहत को किस चोट के कारण स्थाई अपंगता आई है या नहीं और वह पूरे शरीर के मान से कितने प्रतिशत है।
- 24. आवेदक की ओर से प्र0पी0—9 लगायत 20 के जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उन्हें संबंधित चिकित्सक का साक्ष्य कराकर प्रमाणित नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्टीकरण लिया जा सकता था कि आहत की क्षित स्थाई है या अस्थाई है या किस प्रकार की है। ऐसे में ठोस प्रमाण के अभाव में मौखिक साक्ष्य के आधार पर स्थाई निःशक्तता आवेदक की मानी जा सकती है और आवेदक के मुख्य परीक्षण के पैरा—4 में वह स्वयं भी अस्थाई विकलांगता बताता है। ऐसे में यह भी प्रमाणित नहीं है कि दुर्घटना के फलस्वरूप आई चोटों के कारण आवेदक को स्थाई असक्तता कारित हुई। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक—2 भी उसके विरूद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

#### -::- वादप्रश्नक मांक-3-::-

- उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार अनावेदकगण पर है। और 25. अनावेदकगण की ओर से इस संबंध में जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें रूपा उर्फ रूपसिंह अना०सा०–1 ने अपने अभिसाक्ष्य में उससे दुर्घटना घटित होने से इन्कार करते हुए द्वायविंग लायसेन्स प्र0डी0–1 पेश करना बताया है और यह भी कहा है कि उसके खिलाफ झूंठी रिपोर्ट लिखाई गई। हालांकि उसने झूंठी रिपोर्ट के संबंध में पुलिस को या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कोई शिकायत नहीं की गई है। उसने प्र0डी0-1 का द्वायविंग लायसेन्स ग्वालियर से बनवाना बताया है। और उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वह किन किन गाडियों को चलाने की पात्रता रखता है। हालांकि वह यह स्वीकार करता है कि वह ऑटो में 13-14 सवारी बिठा लेता है। अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें आरटीओ कार्यालय भिण्ड के एल0डी0सी0 गोविन्दसिंह अना0सा0–2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि ऑटो रिक्शा क्रमांक-एम0पी0-30 आर-0241 का उनके कार्यालय के अभिलेख मुताबिक दिनांक 09.10.10 को कोई परमिट नहीं था और ऑटो यात्री वाहन होकर व्यावसायिक वाहन है जिसका परमिट अनिवार्य है जिसकी रिपोर्ट प्र0डी0–1 है। फिटनेस प्र0डी0–2 बताते हुए यह कहा है कि वाहन चालक रूपसिंह के पास घटना दिनांक को कमर्शियल वाहन चलाने के लिये कोई ड्रायविंग लायसेन्स उनके कार्यालय से जारी नहीं हुआ जो कि सही है। क्योंकि स्वयं अनावेदक क0-1 रूपा उर्फ रूपसिंह ने द्वायविंग लायसेन्स ग्वालियर से बनवाना बताया है जो प्र0डी0–1 सी के रूप में अभिलेख पर है।
- द्धायविंग लायसेन्स के संबंध में अंबरीश चौधरी अना०सा0-3 ने पैरा–2 व 3 में घटना दिनांक को ज्ञायविंग लायसेन्स व वाहन रजिस्द्रेशन वैध होना स्वीकार किया है। पैरा-3 में उसने ऑटो क्रमांक-एम0पी0-30आर-0241 घटना दिनांक को बीमित होना भी स्वीकार किया है। बीमा कंपनी की आपत्ति केवल इस बात पर है कि बताई गई दुर्घटना दिनांक को चालक के पास कमर्शियल वाहन चलाने का द्वायविंग लायसेन्स नहीं था न ही वाहन का कोई यात्री परिमट था जो बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन है। जैसा कि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से भी स्पष्ट होता है क्योंकि प्र0डी0–1 ए दिनांक 09.10.10 को उक्त वाहन का कोई परिमट नहीं था। फिटनेस दिनांक 28.10.09 से 27.02.11 तक के लिये वैध बताया है जो प्र0डी0-2 से स्पष्ट होता है। प्र0डी0-3 बीमा पॉलिसी है जिसके मुताबिक दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क0–2 का वाहन बीमित था। प्र0डी0–4 अनावेदक रूपा उर्फ रूपसिंह के द्वायविंग लायसेन्स के संबंध में ली गई सत्यापन रिपोर्ट है जो आर0टी0ओ0 कार्यालय ग्वालियर से ली जाना बताया है जिसके मृताबिक कमर्शियल वाहन चलाने के लिये ड्रायविंग लायसेन्स नहीं था जिसकी विवरणी प्र0डी0-5 भी पेश की गई है जो कम्प्यूटर रिकॉर्ड के आधार पर तैयार की गई है। और प्र0डी0–6 के पत्र मुताबिक आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड से कोई परमिट जारी नहीं था जिसके आधार पर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जा सकता है। किन्तु हस्तगत मामले में आवेदक को जिस दुर्घटना में चोटिल होना बताया गया है, वह दुर्घटना ऑटो रिक्शा क्रमांक-एम0पी0-30 आर-0241 से घटित होना वाद प्रश्न क्रमांक-1 के विश्लेषण में प्रमाणित नहीं

होता है। इसिलये बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर प्रकरण के गुण—दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। इसिलये यह निर्णीत किया जाता है कि प्रश्नाधीन वाहन का बताई गई दुर्घटना दिनांक को वैध परिमट तथा द्वायविंग लायसेन्स न होने से बीमा शर्तों का उल्लंघन अवश्य हुआ है किन्तु उसका आवेदक के पक्ष में कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि दुर्घटना ही सिद्ध नहीं है।

#### -::- वादप्रश्नक मांक-4 -::-

- इस संबंध में आवेदक रामबाबू आ0सा0-1 ने दुर्घटना के कारण आई चोटों के इलाज, ऑपरेशन, प्लास्टर, दवाईयॉ, फल फूड इत्यादि में लगभग 1,20,000 / – रूपये खर्च होना पैरा–3 में शारीरिक, मानसिक पीडा सहित बताया है। किन्तु प्रतिपरीक्षण के पैरा-7 में उसने इलाज में कूल 73,000 / – रूपये खर्च होना बताये हैं और आगरा में इलाज होना बताया है। क्योंकि ग्वालियर में इलाज नहीं हुआ था। पैरा-8 मुताबिक वह आठ दिन आगरा में रहा था लेकिन किस डॉक्टर से इलाज कराया उसका नाम उसे पता नहीं है। कागजों में लिखा होना वह कहता है। उसके पुत्र धीरेन्द्र अ०सा०–2 ने भी मुख्य परीक्षण में तो अ०सा०–1 की तरह ही साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षण के पैरा–8 में पिता का आगरा में एक माह तक इलाज चलना वह कहता है और पैरा–13 में उसके मुताबिक ग्वालियर में इलाज की मना कर दी गई थी इसलिये आगरा में इलाज कराना कहा है। दोनों साक्षियों ने फर्जी बिल बनवाकर पेश करने से इन्कार किया है। अनावेदकगण की ओर से बिल व पर्चे फर्जी होने का आधार लिया गया है। प्र0पी0-9 के रूप में जो बिल व मानवेन्द्र शर्मा आगरा वाले का पेश किया गया है, उसमें मरीज का नाम श्रीमती रामबाबू लिखा हुआ है जबिक आवेदक पुरूष है। जो बिल ही 1,86,000 / -रूपये का ऑपरेशन का खर्च बताते हुए पेश किया गया है किन्तु स्वयं आवेदक के मुताबिक इलाज में 73,000 / – रूपये कुल खर्च हुए। ऐसे में प्र0पी0–9 की संदिग्धता स्पष्ट हो जाती है। अन्य खर्चे, रसीदों व कराये गये परीक्षणों की रिपोर्टों के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। और प्र0पी0-1 के रूप में जो एक्सरे रिपोर्ट है, उससे संबंधित चिकित्सक की जानकारी नहीं है। प्र0पी0—18 एवं 19 में जो जांच की गई है उसमें अनेक अस्थिभंजन (सेवरली कम्युटेड फ्रैक्चर) बताये गये हैं। ऐसे में इलाज में हुए खर्चें के संबंध में भी विरोधांभाषी स्थिति है। और इस संबंध में मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य में विषंगति है।
- 28. आवेदक ने अपने मुख्य परीक्षण में दुर्घटना के पूर्व मेहनत, मजदूरी एवं कृषि कार्य करना बताया है जिससे उसे 72,000 / रूपये वार्षिक की आय, अन्य स्त्रोतों से 50,000 / रूपये आय बताई है। जबिक प्रतिपरीक्षा के पैरा—9 मुताबिक वह केवल किसानी का काम करता है। और साल भर में खर्चा काटकर 10—20 हजार रूपये की आय बताता है। वर्तमान में भी खेती कर रहा है इसलिये उसे कोई स्थाई निःशक्तता कारित न होना परिलक्षित होता है। ऐसे में मुख्य परीक्षण में अन्य स्त्रोतों की आय के बारे में भी खण्डन होता है। अभिलेख पर आवेदक के पास कृषि भूमि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। उसका पुत्र धीरेन्द्र भी दो ढाई बीघा कृषि भूमि पिता पर होना और 10—20 हजार रूपये की वार्षिक आमदनी ही उससे होना बताता है। ऐसे में प्रत्येक महत्वपूर्ण बिन्दु पर आवेदकगण की स्वयं की साक्ष्य में विरोधाभाष है

और सर्वप्रथम तो अनावेदक क0—2 के वाहन से दुर्घटना होना ही प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये आवेदक अनावेदकगण से किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप आई शारीरिक क्षति और मानसिक वेदना व इलाज के खर्च की कोई भी राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फलतः वाद प्रश्न कमांक—4 भी उसके विरुद्ध अप्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

### -::- वादप्रश्नक मांक-5 -::-

- 29. उपरोक्त समस्त वर्णित विश्लेषण मुताबिक आवेदक की दुर्घटना ऑटो कमांक—एम0पी0—30 आर—0241 से होना प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये आवेदक अनावेदकगण से कोई क्षतिपूर्ति पाने का पात्र नहीं है। और उसका मूल आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है। फलतः वाद विचार आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा—166 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को निरस्त किया जाता है।
- 30. उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। जिस पर अभिभाषक शुल्क प्रमाणित किये जाने पर या सारिणी मुताबिक जो भी कम हो, वह जोडा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक:- **06 मार्च-2015** 

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा दुर्घटना अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य)

सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा दुर्घटना अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड